कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, बरेली

<u>ई–टेण्डरिंग के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों की निविदा सूचना संख्या–04/बाखंब/2017–18</u>

महामहिम राज्यपाल, महोदय उत्तर प्रदेश की ओर से जनपद बरेली व बदायूँ में अरिल नदी व पीलिया नदी के सर्वेक्षण के निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑनलाईन **http://etender.up.nic.in** के माध्यम से फाईनेन्शियल बिड सर्वेक्षण कार्य में दक्ष एवं अनुभव रखने वाली संस्थानों से दिनांक 21.07.2017 को अपरान्ह 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड बरेली के कार्यालय में दिनांक 22.07.2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे ऑनलाईन खोली जायेंगी। ई–निविदा दिनांक 16.07.2017 से 9.00 बजे पूर्वान्ह से डाउनलोड/अपलोड किया जा सकता है। कार्यालय बन्द होने अथवा छुट्टी होने की दशा में यह निविदा अगले कार्य दिवस में उसी समय खोली जायेगी। यह ई–निविदा/बिड सूचना उ0प्र0 सरकार की वेबसाईट http://etender.up.nic.in, सूचना विभाग की वेबसाईट http://information.up.nic.in तथा सिंचाई की वेबसाईट www.idup.gov.in पर उपलब्ध है।

क्र0 सं0 /लॉट सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (लाख रू0 में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य+व्यापार कर (रू0 में)	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	Detailed Survey of Aril river in Bareilly & Badaun Distt. & Piliya river with Total Station Survey including making L-Section showing levels at every 200M and X-Section of the river at every 200M interval with levels both side upto 200M.	10.50	1.05	30 दिन	1000.00 (वैट एवं स्टेशनरी चार्ज सहित)	सर्वेक्षण कार्य हेतु रजिस्टर्ड

1– यह निविदा सूचना एवं प्रपत्र वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र के साथ फर्म का रजिस्ट्रेशन पत्र एवं कराये गये कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र की स्कैन्ड प्रति वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

2– फाईनेन्शियल बिडिंग परिणाम ऑनलाईन होगा।

3– निविदा बिड की विस्तृत शर्तें निविदा/बिड प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी।

4– निविदादाता को यू0पी0इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ में ई–टेण्डर में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

5– उक्त कार्य की निविदा के साथ निविदा प्रपत्र का गैर वापसी शुल्क (जैसा कि उक्ल कॉलम 07 में दर्शाया गया है) जोकि डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड बरेली को देय होगा तथा धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा निर्गत केवल एफ0डी0आर0 के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड बरेली के नाम में बंधक हो, की स्कैन्ड कापी आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा एवं दिनांक 21.07.2017 को सांय 4:00 बजे तक मूल प्रति स्वयं व्यक्तिगत अथवा रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

6– एक निविदादाता केवल एक ही निविदा खरीद व डाल सकेगा।

7– सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

8– निविदा के साथ रू0–100.00 के नॉन जूडीशियल स्टाम्प पर रू0 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर सहित निविदा की वैधता 3 माह तक बनाये रखने की घोषणा करनी होगी।

क्रमशः–2–

9– अनुबन्ध के समय नियमानुसार वांछित जमानत राशि एवं स्टाम्प आदि जमा करने होंगे।

10– कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

11– आयकर, लेवर सेस, रायल्टी एवं समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त कटौतियां नियमानुसार बीजक से की जायेगी एवं व्यापार कर की कटौती विभागीय निर्गत सामग्री की कटौती के पश्चात प्राप्त धनराशि से की जायेगी। विभागीय निर्गत सामग्री के मूल्य पर व्यापार कर की कटौती नहीं की जायेगी।

12– राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो सकारण आदेश प्रख्यापित कर प्रस्ताव/अनुबंध तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

13– यदि कोई भी निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाब/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम बोली की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।

14– यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

15– विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा जमा/खोलने के स्थान में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, बरेली के सूचना पट पर चस्पा कर दी जायेगी।

16– स्वघोषणा प्रमाण–पत्र के फर्जी व गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल काली सूची में दर्ज करा दिया जायेगा।

17– कार्य स्थल की स्थिति के अनुसार कार्य की मात्राएं घटायी व बढ़ायी जा सकती हैं। जिसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार को कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

18– उपरोक्त कार्य विषम भौगोलिक परिस्थिति में किये जाने हैं। निविदा क्रय करने/डालने से पूर्व कार्य स्थल को भली–भॉति देख लें।

19– निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश सं0–622/23–12–2012–2आडिट/08 टी0सी0–02 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार विभागीय लागत से 10% कम (Below) दर तक 0.50% प्रति 1% कम दर पर तथा 10% के अधिक कम (Below) दर पर 1% प्रति 1% कम दर पर सिक्योरिटी/परफार्मेन्स गारन्टी ली जायेगी। अतिरिक्त धरोहर राशि जमा करने के उपरान्त ही अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

20– निविदादाता के द्वारा यदि कार्यों को ससमय पूर्ण नहीं किया जाता है तो उस दशा में उसके द्वारा किया गया कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा तथा इस स्थिति में उसके साथ गठित अनुबन्ध को निरस्त कर अन्तमीकरण कर दिया जायेगा।

21– निविदा प्रकाशन एवं निविदा विक्रय के बिल आफ क्वान्टिटी में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो निविदा विक्रय के समय जो बिल आफ क्वान्टिटी उपलब्ध करायी जायेगी वही मान्य होगी।

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, बरेली